

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास पीठासीन अधिकारी :-हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:-449/2021

दायर दिनांक:-11.11.2021

जीसीएमएस नं. 2021/542

श्रीमति केशरदेवी पत्नि भरतराम उम्र 62 साल जाति मीना निवासी कारवाड मीना तहसील
हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0।

-----वादी

बनाम


- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. उंकार पुत्र जोरु उम्र 65 साल | } | जाति मीना निवासी कारवाड मीना |
| 2. गोपाल पुत्र जोरु उम्र 58 साल | | तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 |

-----प्रतिवादीगण-02

मुकदमा न0 449/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरु श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने असफल रहा है। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 खारिज किया जाता है।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.10.2024 को यह डिकी जारी की गई।


(हेमराज-गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

